२२ सालके अनथक अविरत संघर्षके बाद

श्रीनिवास कपडा मिल मजदूरोंका

अभूतपूर्व विजय

साठ करोड रुपया ४५०० मजदूरोंको मिलेंगे

■ ■

भारतीय मजदूर संघ मुंबई और श्रीनिवास गिरणी कामगार कृति समितीका लढा

■ ■

मुंबई उच्च न्यायालयका ऐतिहासिक निर्णय

२२ सालके कडे संघर्ष के बाद श्रीनिवास मिल मजदूरोंको ६० करोड रुपया देने का मुंबई हायकोर्टका आदेश

२० मार्च ०५ को मुंबई उच्च न्यायालयने अपने निर्णयमें श्रीनिवास कपडा मिल मजदूरोंको ६० करोड रुपयोंका भुगतान देनेका आदेश दिया। भा.म.संघ मुंबई जिलाके सहयोगसे श्रीनिवास गिरणी कामगार कृति समितीने गत २२ सालतक हर प्रकारका संघर्ष करते हूवे यह विजय प्राप्त किया।

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (इंटक)यह संघटना मुंबई के वस्त्रोद्योग क्षेत्रमें मान्यताप्राप्त संघटना है। उनका सकारात्मक दृष्टीकोन न होनेके कारण मुंबईके ६२ कपडा मिलके हजारो मिल मजदूरोने अपनी बुनियादी मांगे लेकर १९८२ में श्री दत्ता सामंत जी के नेतृत्व में बेमुदत हडताल किया। वह दो सालतक चला। हडताल समाप्त होने के बाद मुंबई की बहुत सारी कपडा मिले बंद होने लगी।

विद्युत बोर्डने १९८४ में श्रीनिवास कपडा मिलके व्यवस्थापनने करीब ४ लाख रुपयों का लाईट बिल का पेमेंट नही किया इस कारण सप्लाय बंद किया श्रीनिवास कपडा मिल बंद हो गयी। मिलके ७००० कर्मचारी बेकार हो गये।

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के पदाधिकारी राजाराम वर्मा कपडा मिल फिर शुरु हो जाय इस लिए प्रयत्नशील थे। इस संघर्ष के कार्यकालमें वर्माजीका भा.म.संघ मुंबई जिला के पूर्णकालिक जयंतराव गोखलेजीसे संपर्क हुवा।

धरणा, मोर्चा, उपोषण, निवेदन आदी कार्यक्रम होते हुवे भी मिल शुरु होना कठीन लग रहा था। श्री राजाराम वर्मा, जयंतराव गोखले, गोपाळ पेडणेकर आदी कार्यकर्ता मा. रमणभाई शहासे मिले और श्रीनिवास गिरणी कामगार कृति समिती का गठन किया। भा.म.संघ मुंबई के सहयोगसे संघर्ष जारी रखनेका निर्णय किया।

कपडा मिल मजदूरोंकी असहाय परिस्थितीका फायदा उठाते हूवे मिल मालिकने मिल बंद करनेका प्रयास मुंबई हायकोर्टमें मुकदमा लगाकर किया। कृति समितीके कारण यह प्रयास असफल रहा।भा.म.संघ मुंबई जिला के मार्गदर्शनपर केंद्र तथा महाराष्ट्र शासन और लोकप्रतिनिधीओंको निवेदन देना जारी था। केंद्रिय श्रम मंत्री मुंबई में आयेथे। मा.रमणभाई के नेतृत्वमें कृति समितीके प्रतिनिधीने उनसे भेट वार्ता की और मिल शुरु करने के लिये कपडा मिल मजदूर अपने भविष्य निर्वाह निधीसे सहायता राशी देने को तैयार है ऐसा प्रस्ताव रखा। कृति समितीके इस प्रकारके सारे प्रयास विफल होते रहे। लेकिन संघर्ष जारी रहा।

१९९४ में मिल मालिकने मिलकी १६ एकर जमिन बेचनेका इरादा किया है ऐसी जानकारी मिली। कृति समितीने मुकदमा चलाया।१९९४ से लेकर २००५ तक हायकोर्टमें केस चली। भा.म.संघ महाराष्ट्र प्रान्तके कार्याध्यक्ष और मुंबई हायकोर्टके जेष्ठ विधीज्ञ श्री श्रीकांत धारपजी ने इस केस का सारा न्यायालयीन कामकाज देखा। श्री विरेंद्र तुळजापूरकर, अनिरुध्द जोशी, इकबाल धागला, रवि कदम, रफिक दादा, ओर हुतोकशी तवाडिया इन विधिज्ञोंने भी सहायता की।

न्या. अजित शहा तथा न्या. एस जे वफिजदार अपना निर्णय देते हुवे :-

१. ७००० कपडा मिल मजदूरोंको तिन महिनेके अंदर लोढा बिल्डर ४५ करोड रुपयोंका भुगतान करेगा।
२. कपडा मिल १९८४ में बंद हो गयी थी। सभी कामगार १९९४ तक १९९५तक कामपर थे ऐसा माना जायेगा।
३. वेलफेअर के लिये रखे हुवे १५ करोड रुपयोंका भी भुगतान होगा।
४. १ लाख स्केअर फुटपर बिल्डर कपडा मिल शुरु करेगा और मिलके मजदूरोंको काम देगा। २४ महिनेके अंदर मिल शुरु न होनेपर कर्मचारीओंको और ४५ करोड रुपया दिया जायेगा।
५. महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रमें श्रीनिवास मिल मजदूरोंके लिये एक कपडा मिल शुरु किया जायेगा।
६. हर कर्मचारी को एक सालके लिये ३० दिनका पेमेंट तथा १५ दिनकी ग्रज्युईटी दी जायेगी।

इस प्रकारके शर्ते लगाई।

श्रीनिवास गिरणी कामगार कृति समिती और भा.म.संघ मुंबई के कार्यकर्ताओं का यह प्रयास अन्य बंद कपडा मिल मजदूरोंको मार्गदर्शक होगा।

इस संघर्षमें

कै.राजाराम वर्मा

स्वयं श्रीनिवास मिलके मजदूरके नेता थे। राष्ट्रीय मिज मजदूर संघ (इंटक) मान्यताप्राप्त संघटनाके पदाधिकारी तथा कृति समितीके सर्वेसर्वा थे।

कै. जयंतराव गोखले

भारतीय मजदूर संघ मुंबई जिलाके पूर्णकालिक तथा वस्त्रोद्योग महासंघके प्रमुख थे। इस संघर्षको उनका प्रारंभसे नेतृत्व रहा।

कै. जे.एल. गोरे

श्रीनिवास कपडा मिलके जनरल मॅनेजर थे। कृति समितीको बहुमुल्य योगदान दिया।

ये सब आज हममें नही है। इस विजय पर्वपर हम उनको नम्रतासे अभिवादन करते है।

२२ सालके प्रदिर्घ संघर्षके लिये

रमणभाई शहा
अनंतराव करंबेळकर
श्रीकांत धारप
श्रीपाद काशीकर
गोपाळ पेडणेकर
विश्वनाथ साटम
दादु पडवळ
जोगेंद्रप्रताप सिंग
प्रल्हाद सपकाळ
पी.सी. गुप्ता
एस.डी. कुलकर्णी
गीताताई गोखले

आपकी योगदानसे यह संघर्ष प्रारंभ हुवा आपके ही मार्गदर्शनसे आंदोलन सही दिशामें कार्यरत रहा। भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।

प्रमोद कुलकर्णी
अध्यक्ष

शरद जोशी
महामंत्री